D:\ADN\D.O.C. 2013.docx- 325

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक--एफ. 3(4)पोषा/निरीक्षण/ICDS/2013/ 71221-557 जयपुर, दिनांकः- 31.7.15

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

बाल विकास परियोजना अधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त।

विषयः- पूरक पोषाहार के वितरण के संबंध में।
प्रसंगः-समसंख्यक विभागीय आदेश क्रमांक 137771-803 दिनांक 11.10.2013, 31247-79 दिनांक 07.04.2014, 35408-757 दिनांक 11.04.2014 एवं 54053-85 दिनांक 17.06.2015

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्र पर पोषाहार वितरण (Take Home Ration) का रजिस्टर बनाया जाकर पोषाहार वितरण का लेखा-जोखा निर्धारित प्रारूप में संधारित करने एवं सभी आंगनबाडी केन्द्रों पर लाभान्वितों को टेक हॉम राशन का वितरण गुरूवार को ही किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये गये थे।

आंगनबाडी केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान यह देखा गया है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो पोषाहार प्राप्त होता है, वह गुरूवार को प्राप्त होना एवं उसी दिन लाभान्वितों को वितरित किया जाना दर्शाया जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप परियोजना, जिला एवं निदेशालय स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान पोषाहार की जांच नहीं हो पा रही है।

अतः उक्त निर्देशों की निरन्तरता में निर्देशित किया जाता है कि-

1. स्वयं सहायता समूह से गुरूवार को वितरण किये जाने वाले पोषाहार की आपूर्ति केन्द्र पर वितरण दिवस से कम से कम दो दिन पूर्व प्राप्त की जाये तथा उसका स्टॉक रजिस्टर में उसी दिन अंकन किया जाना सुनिश्चित किया जाये। ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर के अधिकारी यथा सम्भव अपने दौरे मंगलवार एवं बुधवार को शामिल करते हुए रखें ताकि गुरूवार को वितरण से पूर्व पोषाहार की जांच की जा सके। उक्तानुसार की जाने वाली व्यवस्था की जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी दी जाये।
2. 06 माह से 3 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को दिए जाने वाले पूरक पोषाहार को प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का अंकन प्रति सप्ताह निर्धारित प्रारूप में करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारीगण इसे विजिट के दौरान सुनिश्चित करें।

31/7/2015
(एम.पी.स्वामी)
निदेशक

Directorate of Integrated Child Development Services, 2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur- 302015
Ph. No.0141- 2700246, fax 0141-2705638, 2700281 e-mail - adn.wcd@rajasthan.gov.in
Web-Site www.wcd.rajasthan.gov.in

क्रमांक–एफ. 3(4)पोषा/निरीक्षण/ICDS/2013/ 71558-571 जयपुर, दिनांकः 31.7.15

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशिष्ठ सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
4. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया मासिक निरीक्षण हेतु आपको आवंटित जिलों में जब भी आप भ्रमण पर जावें तो भ्रमण कार्यक्रम में मंगलवार एवं बुधवार का दिवस आवश्यक रूप से सम्मिलित करें एवं पोषाहार निरीक्षण का उल्लेख अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में आवश्यक रूप से करें।
5. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(डॉ. ब्रज भूषण शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)